



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 184]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, सितम्बर 13, 2007/भाद्र 22, 1929

No. 184]

NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 13, 2007/BHADRA 22, 1929

भारतीय दन्त चिकित्सा परिषद्
अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 सितम्बर, 2007

सं. डी.ई.-159-2007.—दन्त चिकित्सक अधिनियम, 1948 (1948 का 16) की धारा 20 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय दन्त चिकित्सा परिषद्, केन्द्रीय सरकार के पूर्वानुमोदन से, एतद्द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाती है :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ :

- (1) विनियमों को अनवरत दन्त शिक्षा विनियम, 2007 कहा जाएगा।
- (2) ये शासकीय राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

2. विश्व के परिप्रेक्ष्य में भारत अनवरत दन्त शिक्षा/दन्त शिक्षा :

- (क) भारत की जनसांख्यिक रूपरेखा कम जन्म दर और कम मृत्यु दर की दिशा में परिवर्तित हो रही है और जनसंख्या में 160 करोड़ के आंकड़े पर आकर ठहराव निश्चित है। जनसंख्या की आयु संबंधी रूपरेखा सन् 2016 तक बदल जाएगी जिसमें 15 वर्ष से कम आयु वर्ग में गिरावट आएगी तथा उसी अनुपात में 60 वर्ष तक और 60 वर्ष से अधिक के आयु वर्ग में वृद्धि होगी। इस बदलती हुई जनसांख्यिक रूपरेखा के साथ-साथ रोगों के स्वरूप में भी अवश्य ही बदलाव आएगा, शिक्षा और स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता के स्तरों में वृद्धि होगी, व्यक्तियों और सरकार द्वारा स्वास्थ्य पर अधिक खर्च किया जाएगा। भारतीय संदर्भ में, रोगी पर केन्द्रित और साक्ष्य आधारित स्वास्थ्य परिचर्या का मॉडल साफ होता जा रहा है। भू-मंडलीय अर्थव्यवस्था में भारत के एक आर्थिक वृद्धि और विकास की मुख्य शक्ति के रूप में उभरने से, जनता के साथ-साथ नीति-निर्धारकों और शीर्षस्थ विनियामक निकाय, अर्थात् भारतीय दन्त चिकित्सा परिषद् द्वारा दन्त स्वास्थ्य परिचर्या और शिक्षा के हृदयलेख का बारीकी से मूल्यांकन करने की जरूरत हुई है।
- (ख) जबकि, उच्चतर शिक्षण वाले दन्त चिकित्सा संस्थानों की अत्यधिक वृद्धि के कारण दन्त चिकित्सक और जनसंख्या के अनुपात में निरंतर हो रहे सुधार, प्रौद्योगिकी और विज्ञान के क्षेत्रों में तेज गति से हो रही प्रगतियों, एचआईवी/एड्स, यकृतशोथ के बढ़ते हुए खतरे, दन्त क्लिनिक में एक-दूसरे से होने वाले संदूषण के खतरों को देखते हुए स्पष्ट तौर पर यह जरूरी है कि अनवरत दन्त शिक्षा की प्रणाली होनी चाहिए ताकि दन्त चिकित्सक को ज्ञान और कुशलता से निरंतर भिन्न रखा जाए और इस प्रकार परिचर्या के स्तर को बढ़ाया जाए और साथ ही भारतीय दन्त शिक्षा तथा स्वास्थ्य परिचर्या प्रणाली को विश्व-स्तरीय मॉडल में ढाला जाए।
- (ग) परिषद् का यह भी विचार है कि दन्त चिकित्सक अधिनियम के अधीन, पंजीकृत सभी दन्त चिकित्सकों के लिए 1 जनवरी, 2008 से प्रारम्भिक पांच वर्ष की अवधि के लिए अनवरत दन्त शिक्षा के अंतर्गत अंक (प्लाइंट) प्रदान करने की प्रणाली लागू की जाए और इस अवधि के अंत में इसकी मुनरीक्षा की जाए।

- (घ) भारतीय दन्त चिकित्सा परिषद् यह सिफारिश करती है कि पांच वर्ष में कुल 150 अंकों (प्वाइंट्स) का श्रेय दिया जाए जिसमें एक वर्ष में कम-से-कम 20 प्वाइंट और ज्यादा-से-ज्यादा प्वाइंट हों। इसमें पांच वर्ष की अवधि में आपूर्ति और संक्रमण नियंत्रण के लिए 10 प्वाइंट और दन्त विधिशास्त्र के लिए 5 प्वाइंट अनिवार्यतः शामिल होंगे। मौजूदा अन्तर्राष्ट्रीय मानदण्डों के अनुरूप, एक क्रेडिट प्वाइंट एक घंटे की अनवरत दन्त शिक्षा के समतुल्य होगा।
- (ङ) क्रेडिट प्वाइंट निम्न प्रकार दिए जाएंगे :
- | | |
|--|-----------------------------|
| i. पूरे दिन का व्याख्यान या सम्मेलन | 6 अनवरत दन्त शिक्षा प्वाइंट |
| ii. आधे दिन का व्याख्यान या कार्यशाला | 3 अनवरत दन्त शिक्षा प्वाइंट |
| iii. सांयकाल उत्पादन प्रस्तुतिकरण/व्याख्यान व्यावसाय बैठक | 2 अनवरत दन्त शिक्षा प्वाइंट |
| iv. 45 मिनट के व्याख्यान के साथ 15 मिनट के प्रश्न और उत्तर | 1 अनवरत दन्त शिक्षा प्वाइंट |
- (च) अनवरत दन्त शिक्षा प्रदान करने वालों को दो वर्गों में रखा जाएगा :
- भारतीय दन्त चिकित्सा परिषद् द्वारा और भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् द्वारा मान्यताप्राप्त सभी शिक्षण संस्थाएँ जिनमें दन्त चिकित्सा विभाग हों, सरकारी निकाय, सशस्त्र सेना को अनवरत दन्त शिक्षा प्वाइंट प्रदान करने के लिए भारतीय दन्त चिकित्सा परिषद् का खुला अनुमोदन होगा।
 - अनवरत दन्त शिक्षा प्रदान करने वाली अन्य सभी संस्थाओं, जैसे व्यावसायिक संघों, राष्ट्रीय विशिष्टता संगठनों, निगमित अस्पतालों और निजी व्यावसायिक निकायों को, उनके तत्वाधान में आयोजित होने वाली बैठकों और सम्मेलनों के लिए अनवरत दन्त शिक्षा प्वाइंट प्रदान करने हेतु भारतीय दन्त चिकित्सा परिषद् को आवेदन करने की जरूरत होगी और यह अनुमोदन 5 वर्ष की अवधि के लिए वैध होगा तथा उसकी पुनरीक्षा की जाती रहेगी।
- (छ) मूल्यांकन की प्रणाली स्व-घोषणा फार्मेट पर आधारित होगी जिसे दन्त चिकित्सक हर 2 वर्ष बाद भारतीय दन्त परिषद् को प्रस्तुत करेगा और जिसमें वह उस अवधि में प्राप्त किए गए श्रेय घंटों (क्रेडिट आवर्स) की संख्या संबंधी ब्यौरा भरेगा तथा, यदि अपेक्षित हो, तो एक हस्ताक्षरित घोषणा करेगा कि उसने उपस्थिति का प्रमाण, जैसे कि भाग लेने का प्रमाण-पत्र, पंजीकरण रसीद आदि प्रस्तुत कर दी है। इस प्रणाली के कार्यान्वयन पर निगरानी रखने के लिए फौरी जांच पद्धति प्रयोग की जाएगी।
- (ज) भारतीय दन्त चिकित्सा परिषद् का यह भी विचार है कि सभी पंजीकृत दन्त चिकित्सकों की केन्द्रीय रजिस्ट्री बनाई जाए और चरणबद्ध ढंग से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आधार पर राष्ट्रीय डाटा बेस तैयार किया जाए ताकि पुनर्लाइसेंसिंग और पुनर्वैधीकरण की प्रक्रिया के कार्यान्वयन को आगे और बढ़ाया जा सके।
- (झ) अनवरत दन्त शिक्षा का कार्यान्वयन प्रत्येक दन्त चिकित्सक के लिए पांच वर्ष की अवधि के लिए वैध होगा और इस अवधि के अन्त में इसकी पुनरीक्षा की जाएगी।

मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) पी. एन. अवस्थी, सचिव

[विज्ञापन III/IV/असा./98/07]

DENTAL COUNCIL OF INDIA

NOTIFICATION

New Delhi, the 13th September, 2007

No. DE-159-2007.—In exercise of the powers conferred by Section 20 of the Dentists Act, 1948 (16 of 1948), the Dental Council of India with the previous approval of the Central Government, hereby makes the following regulations :—

1. **Short title and commencement :—**

- (1) These Regulations may be called the Continuing Dental Education Regulations, 2007.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Continuing Dental Education/Dental Education in India in Global Perspective :**

- (a) The demographic profile of India is transitioning to a low birth, low death rate with the population set to plateau at 1.6 billion. The age related profile of the population is set to change by 2016 with a decrease in the group below 15 years of age but with a proportionate increase in the adult age groups up to 60 years and above 60 years. The changing demographic profile is necessarily accompanied by changing disease patterns, increasing levels of education and health awareness, more health spending by the Individual as

well as the government. The patient centered and evidence based model of health care is becoming apparent in the Indian Context. The emergence of India as one the lead power house of economic growth and development in a globalized economy has led to a critical appraisal of the dental health care and educational scenario both from the public as well as the policy planners and the apex regulatory body, the DCI.

- (b) While the Dentist population ratio has been steadily improving due to the exponential growth of Dental Institutions of higher learning, the rapid pace of technological and scientific advances, the looming threat of HIV/Aids, Hepatitis and risks of cross contamination in the dental clinic clearly mandate a system of continuing dental education to keep the Dental practitioner current in terms of knowledge and skills, thereby enhancing standards of care as well as projecting the Indian Dental Education and health care system onto a global model.
- (c) The Council also proposes the implementation of a point system for Continuing Dental education for all registered practitioners under the dentists act for an initial period of 5 years to be effective w.e.f. 1st January, 2008 and to be reviewed subsequently at the end of this period.
- (d) The Dental Council of India recommends a total credit of 150 points over a period of 5 years, with a minimum of 20 points a year and not exceeding a maximum of 50 points annually. This will include a mandatory 10 points for asepsis and infection control and 5 points for dental jurisprudence over a period of 5 years. One credit point would be equivalent to one hour of CDE in conformance with prevailing international norms.
- (e) The award of credit points would be as follows :
- | | |
|--|--------------|
| i. Full day lecture or conference | 6 CDE points |
| ii. Half Day lecture or workshop | 3 CDE points |
| iii. Evening product introduction/lecture business meeting | 2 CDE points |
| iv. 45 min lecture with 15 min Q & A | 1 CDE point |
- (f) The CDE providers would fall into 2 categories :
- i. All DCI recognized, MCI recognised teaching institutions having Dental Departments, Government Bodies, Armed Forces would receive a blanket approval for award of CDE points by the DCI.
- ii. All others providers such as professional associations, national specialty organizations, corporate hospitals, and private professional bodies will need to apply to the DCI for award of CDE points for meetings and conferences held under their aegis and this approval will be valid for a period of 5 years, subject to review.
- (g) The system of assessment is to be based on a self declaration format to be submitted to the DCI every 2 years by the practitioner in which he or she would detail the number of credit hours achieved in this period and a signed declaration of submission of proof of attendance in terms of certificates of participation, registration receipts etc. if required. A random audit system would be used to monitor the implementation.
- (h) The DCI also envisages the creation of a central registry and national data base of all registered practitioners in a phased manner on an electronic media base to further the implementation of a process of relicensing and revalidation.
- (i) The CDE implementation would be valid for a period of 5 years for each dentist and will be reviewed at the end of this period.

Maj. Gen. (Retd.) P.N. AWASTHI, Secy.

[ADVT III/IV/Exty./98/07]